निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 152/2016 दावा
दायरा दिनांक 14.09.2016
निर्णय दिनांक :-25.04.2017

उनवान

1. दौलतसिंह पुत्र रूपसिंह
2. नन्दकंवर पत्नी स्व. रूपसिंह जाति राजपूत निवासीगण मालोनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
2. परियोजना अधिकारी परवन वृहत सिचाई परियोजना झालावाड़
3. भवरसिंह पुत्र माधोसिंह
4. दरयाव सिंह पुत्र माधासिंह
5. पृथ्वीराजसिंह पुत्र माधोसिंह
6. रघुराजसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासीगण मालोनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :-

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री हिम्मत सिंह वादी

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 358/140 रकबा 15 बीघा, खसरा नंबर 366/140 रकबा 15 बीघा किता 3 रकबा 31 बीघा लगानी 16.00 रूपये मौजा मालोनी पटवार हल्का मौखमपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा राजस्थान मे वाके है, विवादित आराजीयात पूर्व मे तस्तीबा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व रूपसिंह पुत्र माधोसिंह व रतनबाई बेवा माधोसिंह के खातेदारी मे दर्ज जमाबंदी थी। खातेदारी रूपसिंह व रतनबाई का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इन्तकाल संख्या 396 ग्राम मालोनी निर्णित किया गया जिसमे वादी दौलतसिंह का नाम धीरजसिंह व वादनी नन्दकंवर का नाम कंवरबाई दर्ज कर दिया है इसलिए उक्त इन्तकाल संख्या 396 काबिल खारिजी है। इन्तकाल संख्या 396 निर्णित करते समय न तो वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है और ना ही वादीगण को बुलाया गया केवल ग्राम वासीयान द्वारा की गई जानकारी के आधार पर ही इन्तकाल निर्णित कर दिया है, इसलिए इन्तकाल संख्या 396

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

काबिल खारिजी है। वादी दौलतसिंह के समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, मतदाता पहचानपत्र व अन्य राज्य सरकार से जारी दस्तावेज मे नाम दौलतसिंह है तथा वादनी नन्दकंवर का नाम मतदाता पहचानपत्र, परिवार राशनकार्ड मे नाम नन्दकंवर दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम धीरजसिंह व कंवरबाई दर्ज होने तथा अन्य दस्तावेज मे नाम दौलतसिंह, नन्दकंवर दर्ज होने से वादीगण को काफी परेशानिया उत्पन्न हो रही है, इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम धीरजसिंह के स्थान पर दौलतरसिंह व कंवरबाई के स्थान पर नन्दकंवर घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम धीरजसिंह के स्थान पर दौलतसिंह व कंवरबाई के स्थान नन्दकंवर दर्ज करने का निवेदन दिनांक 25.08.2016 को किया तो उन्होने वादीगण का नाम सही दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथा माननीय न्यायालय मे कार्यवाही पेश करने की हिदायत दी यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है। विवादित आराजीयात के परवन वृहत सिचाई परियोजना के डूब क्षैत्र मे आने की संभावना उत्पन्न हो गई है, इसलिए प्रतिवादी संख्या–2 को उक्त वाद मे पक्षकार बनाया गया है, डूब क्षैत्र मे आने की स्थिति मे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही एवार्ड राशि जारी की जावेगी, इसलिए वादीगण एवार्ड राशि मे अपना धीरजसिंह के स्थान पर दौलतसिंह व कंवरबाई के स्थान पर नन्दकंवर दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद वादी द्वारा स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 3 ता 6 की और से इकवाली जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी ने अपने समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मालोनी सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 69, नकल जमाबन्दी ग्राम मोलोनी सम्वत् 2072–75, नकल इन्तकाल नंबर 396 ग्राम मालोनी पेश किया गया। फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति पहचान पत्र, नन्द कंवर के आधार कार्ड एवं पहचान पत्र की फोटो प्रति पेश की गई। वादी दौलतसिंह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2001 की अंक तालिका पेश कि गई। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य वादी में रघुराज सिंह, दरयाव सिंह का शपथ–पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम मालोनी मे स्थित है। उक्त विवादित आराजी पूर्व में प्रतिवादी क्रम 3 ता 5 व रूपसिंह पुत्र माधोसिंह रतनबाई वेवा माधोसिंह के खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार रूपसिंह व रतनबाई का स्वर्गवास होने प उनका इन्तकाल नंबर 396 खोला गया, जिसमे वादी दौलतसिंह का नाम धीरजसिंह व वादनी नन्दकव का नाम कवरबाई दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्तकाल का निर्णय करते समय वादीगण को सुनवाई व अवसर नही दिया गया। बिना सुनवाई किये इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया, जो काबिल खारिजी वादी द्वारा शैक्षणिक दस्तावेज फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड की प्रति पेश की है, जिसमें वादी का न नाम दौलतसिंह दर्ज है। इसी प्रकार वादनी नन्दकवर के नाम को साबित करने के लिए आधार व मतदाता फोटो पहचान पत्र की प्रति पेश की है। सह खातेदार रूपसिंह व दरयाव सिंह के शपथ पेश किये है। वादी का सही नाम दौलतसिंह एवं वादनी का सही नाम नन्दकवर है, परन्तु राजस्व रि में वादी का नाम धीरज सिंह एवं वादनी का नाम कवरबाई दर्ज कर दिया गया है। वादीगण का रा

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से भूमि का मुआवजा लेने में परेशानी आ रही है। वादीगण अपना सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार किया जावे तथा धीरज सिंह के स्थान पर दौलतसिंह एवं कवर बाई के स्थान पर नन्दकवर दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक वादीगण एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मालोनी सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 69 के अनुसार धीरज सिंह, रघुराज सिंह पुत्र रूपसिंह कवर बाई बेवा रूपसिंह दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम मालोनी सम्वत् 2072–75 में वादी का नाम धीरजसिंह पुत्र रूपसिंह एवं कवरबाई पत्नि रूपसिंह दर्ज है। नकल इन्तकाल नंबर 396 ग्राम मालोनी में अंकित सजरा के अनुसार रूपसिंह फोत, रूपसिंह के पुत्र धीरजसिंह, रघुराजसिंह व पत्नि कवरबाई अंकित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंक तालिका में दौलतसिंह पुत्र रूपसिंह अंकित है। आधार कार्ड में दौलतसिंह गोड पुत्र रूपसिंह एवं पहचान पत्र मे दौलतसिंह पुत्र रूपसिंह अंकित है। इसी प्रकार आधार कार्ड में नन्दकवर पत्नि रूपसिंह व पहचान पत्र में नन्दकुवर पत्नि रूपसिंह दर्ज है। इससे यह साबित होता है, कि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में धीरजसिंह व कवरबाई दर्ज है व गलत है। आधार कार्ड, पहचान–पत्र एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की अंक तालिका में अंकित दौलतसिंह व नन्दकुवर दर्ज है, वह सही है। वादी धीरजसिंह के स्थान पर दौलतसिंह व कवरबाई के स्थान पर नन्दकुवर दर्ज करवाना चाहते है। सह खातेदारान् दरयाव सिंह द्वारा साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ–पत्र में भाई रूपसिंह की मृत्यु के बाद दौलतसिंह भतीजे का नाम धीरजसिंह एवं नन्दकवर का नाम कवरबाई इन्तकाल मे दर्ज कर दिया गया, जो गलत होना बताया है। सही नाम दौलतसिंह व नन्दकवर बताया है। वादी का वाद स्वीकार कर धीरजसिंह के स्थान पर दौलतसिंह व कवरबाई के स्थान पर नन्दकवर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मालोनी के खसरा नंबर 139 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 358/140 रकबा 15 बीघा खसरा नंबर 366/140 रकबा 15 बीघा में दर्ज धीरज सिंह के स्थान पर दौलतसिंह एवं कंवरबाई के स्थान पर नन्दकंवर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पत्र जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 152/2016	धारा अन्तर्गत 88, RTA	निर्णय दिनाक 25.04.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री हिम्मतसिंह		अभिभाषक प्रतिवादी:–

वाद शीर्षक

उनवान

1. दौलतसिंह पुत्र रूपसिंह
2. नन्दकंवर पत्नी स्व. रूपसिंह जाति राजपूत निवासीगण मालोनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
2. परियोजना अधिकारी परवन वृहत सिचाई परियोजना झालावाड़
3. भवरसिंह पुत्र माधोसिंह
4. दरयाव सिंह पुत्र माधासिंह
5. पृथ्वीराजसिंह पुत्र माधोसिंह
6. रघुराजसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासीगण मालोनी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मालोनी के खसरा नंबर 139 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 358/140 रकबा 15 बीघा, खसरा नंबर 366/140 रकबा 15 बीघा में दर्ज धीरज सिंह के स्थान पर दौलतसिंह एवं कवरबाई के स्थान पर नन्दकवर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25.4.17 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

	व्ययानुतोष		
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner